उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग-1
संख्या: 173/2024-763/35-1-2024-5/3(2)/85
लखनऊ: दिनांक: 22 नवम्बर, 2024

**<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>**

मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ में निदेशक एवं मूल्यांकन अधिकारियों के अस्थाई राजपत्रित पद, जो स्तम्भ-5 में अंकित शासनादेशों द्वारा सृजित किये गये थे, तथा जिनकी निरन्तरता की स्वीकृति अन्तिम बार शासनादेश संख्या-194/35-1-2019-5/3(2)/85, दिनांक 28 फरवरी, 2019 द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2019 से 29 फरवरी, 2020 तक प्रदान की गई थी, की निरन्तरता निम्नांकित सूची में उनके पद के समक्ष अंकित वेतनमानों में पूर्व शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 01 मार्च, 2020 से 29 फरवरी, 2024 तक की कार्योत्तर स्वीकृति तथा दिनांक 01 मार्च, 2024 से 28 फरवरी, 2025 तक, (यदि यह पद बिना किसी पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिया जाय), निरन्तरता की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

| क्र0 सं0 | पदनाम | पदों की संख्या | वेतनबैण्ड (रू0) | पद सृजन का शासनादेश |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1- | निदेशक | 01 | सीनियर आई0ए0एस0 स्केल | सं0-1596/एस-277/मू0प्र0 दिनांक 18.09.1978 |
| 2- | मूल्यांकन अधिकारी | 05 | रू0-15,600-39,100<br>ग्रेड वेतन रू0-5400/- | (1) सं0-6975/एक-385-मू0प्र0, दिनांक 30.03.84 (तीन पद)<br>(2) सं0-2076/एक-418-मू0प्र0, दिनांक 09.09.85 (दो पद)<br>(3) सं0-यू0ओ0-03/35-1-86-नियो0-1, दिनांक 05.03.86 (दो पद)<br><u>नोट:-</u> उ0प्र0 पुनर्गठनन समन्वय अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-345/28-1-2004, दिनांक 06 फरवरी, 2004 के अनुसार मूल्यांकन अधिकारी के 02 अस्थाई पद उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित किये गये हैं। |

2. इन पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशानुसार महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-2574/दस-98-24(8)/92, दिनांक 02 दिसम्बर, 1998 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

4. उपरोक्त से संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक "3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-आयोजनेत्तर-092-अन्य कार्यालय-05 राज्य नियोजन संस्थान (मूल्यांकन प्रभाग) के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 173/2024-763(1)/35-1-2024-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार,प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) निदेशक, मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-371/।-184/मू0प्र0, दिनांक 04 जुलाई, 2024 तथा पत्र संख्या- 682/एक-184/मू0प्र0, दिनांक 10 सितम्बर, 2024 के क्रम में ।
(3) वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(6) सम्बन्धित पत्रावली।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।